भारतीय संसद
राज्य सभा

संसद के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

राज्य सभा के विशेष संदर्भ में

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002
द्वारा मुद्रित।

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2016

भारतीय संसद
राज्य सभा

संसद के बारे में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
राज्य सभा के विशेष संदर्भ में

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली
2016

विषय सूची

क्रम सं॰	खण्ड	प्रश्न सं॰	पृष्ठ सं॰
1.	सार संक्षेप		1
2.	राज्य सभा का इतिहास	1–6	1–2
3.	राज्य सभा का गठन	7–11	2
4.	राज्य सभा के अधिकारी	12–23	2–4
5.	राज्य सभा के सदस्य	24–38	4–7
6.	संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते	39–41	7
7.	राज्य सभा की भूमिका तथा कार्य	42–47	8–9
8.	संसदीय समितियां	48–66	9–13
9.	विधान	67–78	13–16
10.	लोकहित के मामलों को उठाने संबंधी प्रक्रिया	79–99	16–20
11.	संसदीय विशेषाधिकार	100–103	20–21
12.	एमपीलैड्स	104–107	21
13.	मीडिया और राज्य सभा	108–109	21–22
14.	सूचना का अधिकार और राज्य सभा सचिवालय	110–111	22
15.	संसदीय मंच	112–113	23
16.	राज्य सभा से संपर्क	114–120	23–24
17.	*तालिका:* राज्य सभा और लोक सभा की वर्तमान स्थिति	121	25–26
18.	*तालिका:* राज्य सभा के अधीन आने वाली विभाग संबंधित स्थायी समितियां और उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले मंत्रालय/विभाग	122	27
19.	*तालिका:* लोक सभा के अधीन आने वाली विभाग संबंधित स्थायी समितियां और उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले मंत्रालय/विभाग	123	28–29

सार संक्षेप

भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है। हमारे संविधान में यह उपबंध किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति तथा क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा के नाम से ज्ञात दोनों सभाएं शामिल होंगी। संसद की किसी भी सभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने तथा लोक सभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।

राज्य सभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तथापि, प्रत्येक दो वर्ष में राज्य सभा के लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संघीय सभा होने के नाते राज्य सभा का भारत की संसदीय एवं संवैधानिक संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान है। नीचे कुछ बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं, जिनसे राज्य सभा के इतिहास और लोक सभा के साथ उसके संबंध के विषय में जानकारी मिलती है।

राज्य सभा का इतिहास

1. *राज्य सभा पहली बार कब गठित की गई थी?*

राज्य सभा का गठन 3 अप्रैल, 1952 को किया गया था।

2. *राज्य सभा की पहली बैठक कब हुई?*

राज्य सभा की पहली बैठक 13 मई, 1952 को आयोजित की गई थी।

3. *काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिन्दी नाम 'राज्य सभा' कब पड़ा?*

काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिन्दी नाम 'राज्य सभा' 23 अगस्त, 1954 को रखा गया। राज्य सभा के सभापति ने सभा में एक घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब हिन्दी में 'राज्य सभा' कहा जाएगा।

4. *राज्य सभा के प्रथम सभापति कौन थे?*

राज्य सभा के प्रथम सभापति डा॰ एस॰ राधाकृष्णन थे। उन्हें लगातार दो कार्यकालों (13.5.1952-12.5.1957 और 13.5.1957-12.5.1962) के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था।

5. *क्या राज्य सभा के ऐसे अन्य सभापति हैं, जो लगातार दो कार्यकाल तक इस पद पर रहे?*

राज्य सभा के वर्तमान सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (11.8.2007-10.8.2012 और पुनः 11.8.2012 से अब तक) भारत के उप-राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।

6. *राज्य सभा के प्रथम उप-सभापति कौन थे?*

प्रथम उप-सभापति श्री एस॰ वी॰ कृष्णमूर्ति राव थे। वे भी लगातार दो कार्यकालों के लिए (31.5.1952-2.4.1956 और 25.4.1956-1.3.1962) निर्विरोध निर्वाचित हुए।

राज्य सभा का गठन

7. *राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है?*

राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं।

8. *राज्य सभा में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होते हैं?*

राज्यवार सदस्यों की संख्या में अंतर होता है। संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सीटों के आबंटन का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश राज्य से सदस्यों की संख्या सर्वाधिक (31) है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों से केवल 1-1 सदस्य है।

9. *संघ राज्य क्षेत्रों से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं?*

संघ राज्य क्षेत्रों में से केवल दो संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् दिल्ली और पुडुचेरी का ही राज्य सभा में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि केवल इन दो संघ राज्य क्षेत्रों में ही विधान सभा है। इन संघ राज्य क्षेत्रों से कुल चार सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। (3 सदस्य दिल्ली से और 1 सदस्य पुडुचेरी से)

10. *राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?*

सामान्यत: एक सदस्य का निर्वाचन छ: वर्षों के लिए होता है, परन्तु किसी मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित सदस्य सिर्फ शेष अवधि के लिए ही सेवारत रहता है।

11. *राज्य सभा की बैठक कराने के लिए गणपूर्ति कितनी होती है?*

सभा के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग अर्थात् 25 सदस्य।

राज्य सभा के अधिकारी

12. *राज्य सभा के सभापति कौन हैं?*

भारत के उप-राष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति हैं।

13. *भारत के उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है?*

उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।

14. *भारत के उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है?*

उप-राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं।

15. *उप-सभापति का निर्वाचन कैसे होता है?*

उप-सभापति का निर्वाचन राज्य सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से किया जाता है।

16. *उप-सभापति के उत्तरदायित्व क्या हैं?*

जिस समय सभापति का पद रिक्त हो अथवा किसी ऐसी अवधि के दौरान जब उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हों अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहे हों, उस समय सभापति के पद के दायित्व उप-सभापति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।

17. *सभापति और उप-सभापति, दोनों की अनुपस्थिति में राज्य सभा की कार्यवाही के दौरान कौन पीठासीन होता है?*

राज्य सभा के सभापति, उप-सभाध्यक्ष के पैनल के लिए छः सदस्यों को नाम-निर्देशित करते हैं, जिनमें से एक सदस्य सभापति और उप-सभापति दोनों की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करता है। जब सभापति, उप-सभापति और उप-सभाध्यक्ष में से कोई भी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित नहीं होता है तब सभा किसी अन्य उपस्थित सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुन सकती है।

18. *सभा के नेता के उत्तरदायित्व क्या हैं?*

सभा के नेता, सभा में सरकारी कार्य के कार्यक्रमों को तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सामान्यतः, प्रधानमंत्री सभा के नेता के रूप में किसी एक मंत्री, जो राज्य सभा के सदस्य होते हैं, को नाम-निर्देशित करते हैं, परन्तु यदि प्रधानमंत्री स्वयं राज्य सभा के सदस्य हैं, तो वह सभा के नेता के रूप में कार्य करेंगे।

19. *विपक्ष के नेता की नियुक्ति कैसे होती है?*

संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 संसद के किसी भी सदन के संबंध में विपक्ष के नेता को इस रूप में परिभाषित करता है, ''राज्य सभा अथवा लोक सभा'' का सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, कुछ समय के लिए सरकार के विपक्षी दल का उस सदन में नेता होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या बल होता है और जिसे राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। विपक्ष के नेता को सांविधिक मान्यता मिलती है और अधिनियम के अंतर्गत कतिपय अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

20. *विपक्ष में दो अथवा उससे अधिक दलों के सदस्यों की संख्या एक बराबर होने पर क्या होता है?*

सरकार के विपक्ष में दो अथवा उससे अधिक दलों के सदस्यों की संख्या एक समान होने पर सभापति, दलों की स्थिति से अवगत होकर ऐसे दलों के किसी भी नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करता है और यह मान्यता अंतिम और निर्णायक होती है।

21. *विपक्ष के नेता का क्या दायित्व है?*

विपक्ष का नेता छोटे दल के सदस्यों के अधिकारों के अतिक्रमण की निगरानी करता है और सरकार के संसदीय आलोचना से बचने की कोशिश करने पर बहस की मांग करता है। उसे प्राय: अपने स्थान पर मौजूद रहना होता है और उसे सांसद कौशल और सदन के नियमों के अंतर्गत उपलब्ध समस्त सुविधाओं से परिचित होना चाहिए।

22. *महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है?*

महासचिव, जो कि राज्य सभा का अधिकारी होता है, की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा की जाती है।

23. *महासचिव की भूमिका क्या है?*

महासचिव के पास विविध प्रकार के कार्य होते हैं जिसमें, अन्य कार्यों के साथ-साथ, पीठासीन अधिकारियों को सलाह और विशेषज्ञ राय देते हुए सभा की कार्यवाही के संचालन में उनकी सहायता करना; विधेयकों अथवा किसी अन्य मामले के बारे में लोक सभा से प्राप्त संदेशों की जानकारी सभा को देना, नियमों के अधीन स्वयं को संबोधित सभी सूचनाओं को प्राप्त करना; सभा के अभिलेखों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना; सभा की कार्यवाही का पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करना और दिन के लिए कार्यावलि जारी करना शामिल हैं। वह वाद-विवाद में भाग नहीं लेता है। वह राज्य सभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख भी होता है।

राज्य सभा के सदस्य

24. *राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है?*

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

25. *राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए क्या अपेक्षाएं होती हैं?*

वह भारत का नागरिक और कम से कम तीस वर्ष की आयु का होना चाहिए तथा उसके पास ऐसी अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित की जाएं।

26. *क्या सदस्य को उस राज्य का अधिवासी होना चाहिए जहां से वह राज्य सभा के लिए निर्वाचित होता है?*

नहीं। वह भारत में किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो सकता है।

27. *राज्य सभा में नाम-निर्देशित सदस्यों की संख्या कितनी है?*

भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से बारह सदस्य नाम-निर्देशित किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

28. *क्या राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में नाम-निर्देशित सदस्य मतदान करते हैं?*

राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्यों को भारत के उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है, परन्तु वे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के हकदार नहीं हैं।

29. *राज्य सभा की पहली नाम-निर्देशित महिला सदस्य कौन थी?*

राज्य सभा की पहली नाम-निर्देशित महिला सदस्य श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुन्दले (1952–56 और 1956–62) थीं।

30. *वर्तमान में राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य कौन-कौन से हैं?*

वर्तमान में सुश्री अनु आगा, श्री सम्भाजी शाहू छत्रपति, श्री स्वपन दासगुप्ता, डा॰ नरेन्द्र जाधव, श्रीमती एम॰ सी॰ मेरी कॉम, श्री के॰ पारासरन, सुश्री रेखा, श्री सुरेश गोपी, डा॰ सुब्रमण्यम स्वामी, श्री सचिन रमेश तेंदुलकर और श्री के॰ टी॰ एस॰ तुलसी नाम-निर्देशित सदस्य हैं।

31. *राज्य सभा के कितने सदस्य मंत्री परिषद में हैं?*

वर्तमान में राज्य सभा के 21 सदस्य मंत्री परिषद में है। उनके नाम हैं श्री अरुण जेटली, श्री एम॰ वेंकैया नायडु, श्री मनोहर पर्रिकर, श्री सुरेश प्रभु, श्री रवि शंकर प्रसाद, श्री जगत प्रकाश नड्डा, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, श्री थावर चन्द्र गहलोत, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री पीयूष गोयल, श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री मुख्तार अब्बास नक़वी, श्री वाई॰एस॰ चौधरी, श्री एम॰जे॰ अकबर, श्री रामदास अठावले, श्री अनिल माधव दवे, श्री विजय गोयल, श्री मनसुख एल॰ मांडविया और श्री परषोत्तम रूपाला।

32. *क्या एक मंत्री जो लोक सभा का सदस्य है, राज्य सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है?*

किसी ऐसे मंत्री को, जो लोक सभा का सदस्य है, राज्य सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परन्तु उसे राज्य सभा में मतदान का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार किसी ऐसे मंत्री को जो राज्य सभा का सदस्य है, लोक सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परन्तु उसे लोक सभा में मतदान का अधिकार नहीं है।

33. *राज्य सभा के उन सदस्यों के नाम क्या हैं, जो भारत के प्रधान मंत्री बने?*

श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री एच॰ डी॰ देवगौडा, श्री इंद्र कुमार गुजराल और डॉ॰ मनमोहन सिंह।

34. *राज्य सभा के उन सदस्यों के नाम क्या हैं ,जो भारत के वित्त मंत्री बने?*

सर्वश्री प्रणव मुखर्जी, एस॰ बी॰ चव्हाण, नारायण दत्त तिवारी, वी॰ पी॰ सिंह, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, अरुण जेटली और डा॰ मनमोहन सिंह।

35. *सबसे लम्बे समय तक राज्य सभा का सदस्य रहने वाले सदस्य का नाम क्या है?*

श्री राम जेठमलानी सबसे लम्बे समय तक राज्य सभा के सदस्य रहे हैं। राज्य सभा में यह उनका छठवां कार्यकाल है।

36. *राज्य सभा के किस सदस्य के पास सबसे अधिक विधायी अनुभव है?*

राज्य सभा के सदस्यों में श्री शरद पवार के पास सबसे अधिक विधायी अनुभव है।

37. *क्या राज्य सभा के किसी सदस्य को निरर्ह घोषित किया जा सकता है?*

किसी व्यक्ति को राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने अथवा सदस्य बने रहने से निरर्ह घोषित किया जा सकता है यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले को संसद ने विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया जाना घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है; यदि वह भारत का नागरिक नहीं है अथवा उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है; यदि उसे संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अयोग्य घोषित कर दिया जाता है; तथा उसे दसवीं अनुसूची, जिसमें दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का उपबंध किया गया है, के अधीन इस प्रकार अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लोक सभा के सदस्य पर भी यही नियम लागू होते हैं।

38. *इस बात का निर्णय कौन करता है कि कोई सदस्य राज्य सभा सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो गया है?*

यदि सभा के किसी सदस्य का संविधान के अनुच्छेद 102 (1) के तहत निरर्हता का प्रश्न उठता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न राष्ट्रपति को उनके निर्णय के लिए भेजे जाते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है। तथापि, राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न पर निर्णय देने के पहले निर्वाचन आयोग की राय लेते हैं और उस राय के अनुसार कार्य करते हैं। दूसरी ओर यदि सभा के किसी सदस्य का संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता का प्रश्न उठता है, तो वह प्रश्न राज्य सभा के सभापति को उनके निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है और उनका

निर्णय अंतिम होता है। लोक सभा के मामले में प्रश्न लोक सभाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है और उनका निर्णय अंतिम होता है।

सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

39. *राज्य सभा के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते क्या हैं?*

सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, अधिनियम 1954 के तहत नियम बनाने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन गठित एक सांविधिक समिति है। यह समिति केंद्र सरकार के परामर्श से चिकित्सा, आवास, दूरभाष सुविधाओं इत्यादि तथा विभिन्न भत्तों, जिन्हें सदस्य अधिनियम के अधीन प्राप्त करने के हकदार हैं, के विनियमन जैसे मामलों का उपबंध करने के लिए नियम बनाती है। प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिमाह 50,000/–रुपए वेतन तथा ड्यूटी पर उपस्थित रहने के दौरान संसद की किसी सभा के सत्र अथवा समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिदिन 2000 रुपए की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होता है। ड्यूटी पर उपस्थिति की अवधि में सभा के सत्र के आरंभ होने से तत्काल तीन दिन पूर्व और समाप्ति के तत्काल तीन दिन के बाद की अवधि और समिति की बैठक शुरू होने से तत्काल दो दिन पूर्व और समाप्ति के तत्काल दो दिन बाद की अवधि शामिल है। इसके अलावा कोई सदस्य, संसद सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य हेतु उपस्थित रहने के लिए भी दैनिक भत्ते का हकदार होता है। दैनिक भत्ता केवल तभी अनुमेय है जब सदस्य इस प्रयोजनार्थ रखी गई पंजिका में हस्ताक्षर करता है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट *http://rajyasabhahindi.nic.in* देखें।

40. *राज्य सभा सदस्यों के लिए क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?*

सदस्य प्रति माह 45,000/– रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 45,000/–रुपए कार्यालय व्यय भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सदस्य यात्रा भत्ता, रेल यात्रा सुविधाएं, हवाई यात्राएं, आवास चिकित्सा सुविधाएं, दूरभाष सुविधाएं, बिजली और पानी की सुविधाएं, वाहन की खरीद हेतु अग्रिम; कम्प्यूटर उपकरण की खरीद हेतु वित्तीय सुविधा के भी हकदार हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट *http://rajyasabhahindi.nic.in* देखें।

41. *भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?*

भूतपूर्व संसद सदस्य पेंशनलाभ, मुफ्त रेल यात्रा सुविधा और चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। दिवंगत सदस्य/भूतपूर्व सदस्य की पत्नी/पति या आश्रित को कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाता है।

राज्य सभा की भूमिका और कार्य

42. *राज्य सभा की विशेष शक्तियां क्या हैं?*

लोक सभा की तुलना में राज्य सभा को कतिपय विशेष शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नानुसार हैं:—

- इस प्रयोजनार्थ संकल्प को अंगीकार करते हुए राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में दर्ज किसी मामले के संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को सशक्त करना, (अनुच्छेद 249)
- अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन (अनुच्छेद 312); और
- घोषणाओं (अनुच्छेद 352 अथवा अनुच्छेद 356 अथवा अनुच्छेद 360 के तहत जारी) को अनुमोदित करना यदि लोक सभा विघटित हो जाती है अथवा लोक सभा का विघटन संसद द्वारा की गई घोषणा के अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर हो जाता है।

43. *लोक सभा और राज्य सभा के बीच किस प्रकार का विधायी संबंध है?*

विधायी मामलों में, राज्य सभा के पास लगभग उतनी ही शक्तियां हैं जितनी लोक सभा के पास हैं, केवल धन विधेयकों के मामलों को छोड़ कर जिन में लोक सभा के पास अध्यारोही शक्तियाँ हैं। इस प्रकार के विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किए जा सकते और यदि उन्हें चौदह दिनों की अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता, तो उन्हें पारित मान लिया जाता है।

44. *क्या दोनों सभाओं के बीच किसी प्रकार का गतिरोध संभव है?*

हाँ । दोनों सभाओं के बीच असहमति उस स्थिति में उभर सकती है जब एक सभा द्वारा पारित किसी विधेयक को दूसरी सभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है; अथवा दोनों सभायें विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में अंतिम रूप से असहमत हों अथवा दूसरी सभा द्वारा विधेयक को प्राप्त किए जाने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि बीत चुकी हो और उस दौरान उसमें विधेयक पारित नहीं किया गया हो।

45. *दोनों सभाओं के बीच गतिरोध के समाधान की प्रक्रिया क्या है?*

इस प्रयोजन के लिए संविधान के अनुच्छेद 108 में किए गए उपबंध के अनुसार दोनों सभाओं की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। धन विधेयकों के मामले में गतिरोध का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में राज्य सभा के पास सीमित शक्तियां हैं। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित मामले में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक किए जाने का कोई उपबंध नहीं है।

46. *लोक सभा और राज्य सभा की कितनी संयुक्त बैठकें अब तक आयोजित हुई हैं?*

भारत के संसद के इतिहास में ऐसे तीन अवसर आए हैं जब संसद की दोनों सभाओं की उनके बीच विधेयकों को ले कर हुए गतिरोध के समाधान के लिए, संयुक्त बैठकें बुलाई गई हैं:—

- दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1959 (6 और 9 मई, 1961) को;
- बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 (17 मई, 1978) को; और
- आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 (26 मार्च, 2002) को।

47. *धन विधेयक के संबंध में राज्य सभा की शक्तियां क्या हैं?*

किसी धन विधेयक को केवल लोक सभा में पुर:स्थापित किए जाने और उस सभा द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद इसे राज्य सभा को उसकी संस्वीकृति अथवा सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्य सभा को धन विधेयक की प्राप्ति से चौदह दिनों की अवधि के भीतर इसे लोक सभा को वापस करना पड़ता है। राज्य सभा प्रत्यक्षत: धन विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती; यह विधेयक के लिए केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। लोक सभा, राज्य सभा द्वारा की गई सभी अथवा किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। यदि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा की गई किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है, तब विधेयक को दोनों सभाओं द्वारा सिफारिश की गई और स्वीकार किए गए संशोधनों सहित पारित किया गया समझा जाता है। तथापि, यदि लोक सभा राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकर नहीं करती है, तब धन विधेयक को संसद की दोनों सभाओं द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाता है जिस रूप में इसे लोक सभा द्वारा राज्य सभा द्वारा की गई किसी सिफारिश के बिना पारित किया गया।

संसदीय समितियां

48. *राज्य सभा की संसदीय समितियों के विभिन्न वर्ग कौन-कौन से हैं?*

राज्य सभा की संसदीय समितियां तदर्थ समितियों और स्थायी समितियों के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।

49. *तदर्थ समितियां क्या हैं?*

तदर्थ समितियां वे हैं जिनका गठन सभा द्वारा अथवा सभापति द्वारा अथवा दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से विशिष्ट मामलों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल अपना काम पूरा करते ही समाप्त हो जाता है।

इन समितियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: विधेयकों पर विचार करने और प्रतिवेदन देने के विशेष प्रस्ताव पर सभाओं द्वारा गठित विधेयकों संबंधी प्रवर अथवा संयुक्त समितियां; और विशिष्ट विषयों की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिए समय-समय पर गठित समितियां।

50. *स्थायी समितियां क्या हैं?*

स्थायी समितियां वे समितियां हैं जिनके सदस्य प्रतिवर्ष या समय-समय पर या तो सभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं।

51. *राज्य सभा में स्थायी समितियां कौन-कौन सी हैं?*

राज्य सभा की स्थायी समितियां इस प्रकार हैं:— कार्य-मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, आवास समिति, याचिका समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, आचार समिति, राज्य सभा के सदस्यों को कंप्यूटर का प्रावधान करने संबंधी समिति, एमपीलैड संबंधी समिति और विभाग-संबंधित समितियां।

52. *दोनों सभाओं की नियम समितियों की संयुक्त बैठक पहली बार कब हुई थी?*

दोनों सभाओं की नियम समितियों ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित स्थायी समितियां गठित किये जाने के संबंध में चर्चा करने के लिए पहली बार 11 मार्च, 1993 को एक संयुक्त बैठक की थी।

53. *विभाग-संबंधित स्थायी समितियां क्या हैं?*

विभाग-संबंधित स्थायी समितियां (डीआरएससी) वे समितियां हैं जो संसद के प्रति सरकार को और अधिक उत्तरदायी बनाने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण की संवीक्षा करती हैं। इन समितियों का गठन 1993 में किया गया था।

54. *कितनी विभाग-संबंधित स्थायी समितियां गठित की गई हैं?*

चौबीस विभाग-संबंधित स्थायी समितियां गठित की गई हैं जिनमें अधिकतम इकतीस सदस्य होते हैं। इनमें से इक्कीस सदस्य लोकसभाध्यक्ष द्वारा और दस सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाते हैं।

55. *राज्य सभा के अधिकार-क्षेत्र में कौन-कौन सी विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं?*

आठ विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं जो इस प्रकार हैं-वाणिज्य संबंधी समिति; गृह कार्य संबंधी समिति; मानव संसाधन विकास संबंधी समिति; उद्योग संबंधी समिति; विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; पर्यावरण और वन संबंधी समिति; परिवहन; पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति; कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति।

56. *लोक सभा के अधिकार-क्षेत्र में कौन-कौन सी विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं?*

सोलह विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं जो इस प्रकार हैं–कृषि संबंधी समिति; रसायन और उर्वरक संबंधी समिति; कोयला और इस्पात संबंधी समिति; रक्षा संबंधी समिति; ऊर्जा संबंधी समिति; विदेशी मामलों संबंधी समिति; वित्त संबंधी समिति; खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति; सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति; श्रम संबंधी समिति; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति; रेल संबंधी समिति; ग्रामीण विकास संबंधी समिति; सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति; शहरी विकास संबंधी समिति तथा जल संसाधन संबंधी समिति।

57. *विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के मुख्य कार्य क्या हैं?*

विभाग-संबंधित स्थायी समितियों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने और उस पर प्रतिवेदन देने; संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित विधेयकों, जिन्हें समिति को भेजा गया है, की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन देने; मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन पर प्रतिवेदन देने; तथा राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करने और उन पर प्रतिवेदन देने का कार्य सौंपा गया है।

58. *राज्य सभा और लोक सभा के अधिकार-क्षेत्र में कितनी-कितनी विभाग-संबंधित स्थायी समितियां हैं?*

आठ विभाग-संबंधित स्थायी समितियां राज्य सभा के सभापति के नियंत्रण और निदेश के अधीन कार्य करती हैं जबकि सोलह विभाग-संबंधित समितियां लोकसभाध्यक्ष के नियंत्रण और निदेश के अधीन कार्य करती हैं।

59. *क्या राज्य सभा के सभापति किसी समिति के सदस्य होते हैं?*

राज्य सभा के सभापति कार्य-मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। उपसभापति विशेषाधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष होते हैं।

60. *राज्य सभा की समितियों की अध्यक्षता कैसे निर्धारित की जाती है?*

राज्य सभा के सभापति संबंधित दलों/समूहों के नेताओं के साथ परामर्श कर समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। सामान्यत: समितियों की अध्यक्षता दलों को उनकी सदस्य संख्या के अनुसार आबंटित की जाती है। स्थायी समितियों; यथा याचिका समिति; सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति; अधीनस्थ विधान संबंधी समिति; सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति और आवास समिति के मामले में, सभा में संख्या के अनुपात में सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के बीच अध्यक्षता का बंटवारा कर लिया जाता है।

61. *आचार समिति के क्या कार्य हैं?*

आचार समिति सदस्यों के सदाचार और नैतिक आचरण का निरीक्षण करती है; सदस्यों के लिए आचार संहिता तैयार करती है और राज्य सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आचार संहिता में

समय-समय पर संशोधन या अभिवृद्धि करने के लिए सुझाव देती है; सदस्यों द्वारा आचार संहिता के कथित उल्लंघन और अन्य नैतिक दुराचरण से संबंधित मामलों की जांच करती है; और स्वप्रेरण से अथवा विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर समय-समय पर आचार विषयक मानदण्डों से संबंधित प्रश्नों पर सदस्यों को सलाह देती है।

62. *किसी सदस्य के अनैतिक आचरण या दुराचार के सिद्ध होने पर आचार समिति कौन-कौन से प्रतिबंध लगा सकती है?*

समिति निम्नलिखित प्रतिबंधों में से एक या अधिक प्रतिबंधों को लगाए जाने की सिफारिश कर सकती है, अर्थात निंदा; फटकार; किसी विशेष अवधि के लिए सभा से निलंबन; और समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य यथोचित प्रतिबंध।

63. *आचार समिति द्वारा निर्धारित और राज्य सभा द्वारा गृहीत सदस्यों के लिए आचार संहिता क्या है?*

राज्य सभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य सभा के सदस्यों को जनता द्वारा उनमें व्यक्त किए गए विश्वास को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और जन सामान्य के कल्याण के लिए उनको दिए गए अधिदेश का निर्वहन करने हेतु कर्मठतापूर्वक कार्य करना चाहिए। उन्हें संविधान, कानून, संसदीय संस्थाओं और सबसे बढ़कर आम जनता का अत्यंत सम्मान करना चाहिए। संविधान की उद्देशिका में निहित आदर्शों को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्हें निरंतर प्रयास करना चाहिए। आचार संहिता में ऐसे चौदह सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन सदस्यों को उनके कार्य-व्यवहार में करना चाहिए। इन सिद्धांतों का ब्यौरा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है।

http://164.100.47.5/newcommittee/reports/Englishcommittes/committe%20on%20ethics/1streport.htm

64. *राज्य सभा (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 के अनुपालन में, सदस्यों द्वारा राज्य सभा के सभापति को कौन-सी सूचना दी जानी आवश्यक है?*

राज्य सभा (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत, राज्य सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य से अपने शपथ/प्रतिज्ञा लेने की तारीख से 90 दिन के भीतर राज्य सभा के सभापति को निम्नलिखित सूचना देनी अपेक्षित है:–

चल और अचल संपत्ति जिसका वह, उसका पति/उसकी पत्नी और उस पर आश्रित बच्चे संयुक्त अथवा पृथक रूप से स्वामी अथवा लाभभोगी हों;

किसी सरकारी वित्तीय संस्था के प्रति उसकी देयताएं; और

केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों के प्रति उसकी देयताएं।

65. *आचार समिति द्वारा चिन्हित आर्थिक हित तथा उनके संघटक कौन से हैं, जिनके संबंध में सदस्यों द्वारा सूचना दी जानी होती है?*

सदस्यों को लाभप्रद निदेशकत्व, सतत् लाभप्रद कार्यकलाप, नियंत्रण प्रकृति की शेयरधारिता, प्रदत्त परामर्श और वृत्तिक कार्य की आर्थिक हितों संबंधी सूचना प्रस्तुत करनी होती है।

66. *क्या देश से बाहर सदस्यों के आर्थिक हित इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं?*

हां, उक्त नियम के अन्तर्गत, सदस्य जो सूचना देते हैं, वह उनके आर्थिक हितों के संबंध में होनी चाहिए, चाहे वे देश के भीतर या बाहर से संबंधित हों।

विधान

67. *विधेयक क्या है?*

विधेयक सभा के समक्ष उसके अनुमोदनार्थ लाया गया एक विधायी प्रस्ताव है।

68. *विधेयक कितने प्रकार के होते हैं?*

मंत्रियों द्वारा लाए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं और ऐसे गैर-मंत्री सदस्यों द्वारा, पुर:स्थापित विधेयक गैर-सरकारी विधेयक कहलाते हैं। विधेयकों की विषय-वस्तु के आधार पर विधेयकों को मोटे तौर पर इन वर्गों में भी विभाजित किया जा सकता है: मूल विधेयक, जो नये प्रस्तावों से संबंधित होते हैं; संशोधनकारी विधेयक, जिनका आशय मौजूदा अधिनियमों का संशोधन करना होता है; समेकन विधेयक, जिनका आशय किसी खास विषय पर विद्यमान कानूनों का समेकन करना होता है; किसी निर्दिष्ट तिथि को समाप्त हो रहे कानूनों को जारी रखने के लिए विधेयक; निरसनकारी विधेयक; अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक; धन और वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक।

69. *कितने गैर-सरकारी विधेयक अधिनियमित हुए हैं? कितने विधेयकों को राज्य सभा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया? कौन-सा गैर-सरकारी विधेयक, 36 वर्षों की अवधि के पश्चात् राज्य सभा द्वारा पारित हुआ है?*

चौदह गैर-सरकारी विधेयक कानून के रूप में अधिनियमित हुए हैं, जिनमें से पांच विधेयकों को राज्य सभा के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये विधेयक हैं: (i) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) विधेयक, 1954, (ii) हिंदू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1956, (iii) अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) विधेयक,1960, (iv) समुद्री बीमा विधयेक, 1963; और (v) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधयेक,1967।

श्री तिरुची शिवा द्वारा पुर:स्थापित विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 नामक गैर-सरकारी विधयेक 36 वर्षों से अधिक की अवधि के पश्चात् 24 अप्रैल, 2015 को राज्य सभा में एकमत से पारित हुआ। राज्य सभा यथापारित विधयेक 29 अप्रैल, 2015 को लोक सभा पटल पर रखा गया।

70. *राज्य सभा में पुर:स्थापित महिला अधिकारों से संबधित महत्वपूर्ण विधान कौन-कौन से हैं?*

महिला अधिकारों से संबधित महत्वपूर्ण विधान, जिन्हें मूलत: राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया, वे हैं: हिन्दू विवाह और विवाह-विच्छेद, 1952, हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1953, हिंदू उत्तराधिकार विधयेक, 1954, हिंदू दत्तक और भरण-पोषण विधयेक, 1956 और संविधान (एक सौ आठवां संशोधन) विधेयक, 2008.

71. *राज्य सभा में, फिल्मों में अश्लीलता पर गैर-सरकारी सदस्य संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके परिणामस्वरूप सेंसरशिप अधिनियम बना ?*

श्रीमती लीलावती मुंशी ने आपत्तिजनक फिल्मों को दिखाने पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव पुर:स्थापित किया जिसे सदन में 1954 में स्वीकृत किया गया। उस संकल्प के कारण सरकार द्वारा 1959 में चलचित्र अधिनियम संशोधन किया गया।

72. *विधेयक और अधिनियम में क्या अंतर है ?*

संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित कोई विधयेक राष्ट्रपति द्वारा उस पर अपनी अनुमति दिए जाने के पश्चात ही अधिनियम बनता है।

73. *किसी विधेयक के पारण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं?*

किसी विधेयक को उस पर विचार किए जाने के दौरान संसद की प्रत्येक सभा में तीन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रथम चरण में विधेयक को पुर:स्थापित किया जाता है जो किसी मंत्री या किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर किया जाता है। द्वितीय चरण में, निम्नलिखित में से कोई भी प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है कि विधेयक पर विचार किया जाए; अथवा इसे राज्य सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाए; अथवा इसे दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए; अथवा इस पर राय जानने के लिए इसे परिचालित किया जाए। तत्पश्चात् विधेयक पर पुर:स्थापित रूप में अथवा प्रवर/ संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडश: विचार किया जाता हैं। तृतीय चरण इस प्रस्ताव पर चर्चा तक सीमित होता है कि विधेयक को पारित किया जाए और विधेयक मतदान द्वारा अथवा ध्वनि मत द्वारा पारित/अस्वीकृत किया जाता है, (अथवा धन विधेयक के मामले में, लोक सभा को लौटा दिया जाता है।)

74. *क्या सभापति को मतदान करने का अधिकार है?*

पक्ष-विपक्ष को समान मत मिलने की स्थिति में सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है।

75. *राज्य सभा में मतदान करने के तरीके क्या है?*

राज्य सभा में मतदान के लिए सामान्यत: चार तरीके अपनाएं जाते हैं: ध्वनि मत, मतों की गिनती, स्वचालित मत रिकार्डर द्वारा मत विभाजन और लॉबियों में जाकर मत विभाजन।

76. *राज्य सभा के कार्य पर लोक सभा के विघटन के क्या प्रभाव पड़ते हैं?*

- राज्य सभा में उद्भूत हुए लोक सभा में लंबित विधेयक, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होते।
- राज्य सभा में उद्भूत एवं पारित विधेयक, जो लोक सभा को भेजे गए हैं और वहां लंबित हैं, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाते हैं।
- लोक सभा में उद्भूत होने वाले विधेयक, जो उस सभा द्वारा पारित कर दिए गए हैं और राज्य सभा को भेजे गए हैं और लोक सभा के विघटन की तारीख तक अभी भी वहां लंबित हैं, व्यपगत हो जाते हैं।
- राज्य सभा में उद्भूत होने वाले विधेयक, जो लोक सभा द्वारा संशोधनों के साथ राज्य सभा को लौटा दिए गए हैं और लोक सभा के विघटन की तारीख तक वहां अभी भी लंबित हैं, व्यपगत हो जाते हैं।
- जिस विधेयक पर सभाओं में असहमति है और राष्ट्रपति ने विघटन से पहले विधेयक पर विचार करने के लिए सभाओं की संयुक्त बैठक आहूत करने का अपना आशय अधिसूचित कर दिया है, वह लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता।
- संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता।
- सभाओं के पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा को लौटाया गया विधेयक तब व्यपगत नहीं होता जब विधेयक पर सभाओं द्वारा विचार किए गए बिना लोक सभा का विघटन हो जाता है।

77. *राज्य सभा की विशेष शक्तियां क्या हैं?*

कृपया प्रश्न 42 का उत्तर देखिए।

78. *लोक सभा की विशेष शक्तियां क्या हैं?*

लोक सभा को सरकार के सामूहिक दायित्व और वित्तीय मामलों के संबंध में विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान में यह उपबंध है कि मंत्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अत: अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और निन्दा प्रस्ताव जैसे प्रस्ताव लोक सभा में ही स्वीकार्य हैं। वित्त के नियंत्रण का अधिकार भी लोक सभा के पास है।

धन विधेयक केवल लोक सभा में ही पुर:स्थापित किया जा सकता है। और इसे धन विधेयक के पारण में अध्यारोही अधिकार प्राप्त हैं।

लोकहित के मामलों को उठाने संबंधी प्रक्रिया

79. *क्या राज्य सभा के सदस्य कार्य संचालन विषयक नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं?*

हां, राज्य सभा के सदस्य राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों से निर्देशित होते हैं। इसी प्रकार, लोक सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं।

80. *ध्यानाकर्षण क्या होता है?*

राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 180 में यह उपबंध है कि कोई सदस्य सभापति की पूर्व अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेगा। ध्यानाकर्षण संसदीय प्रक्रिया में एक नई भारतीय पहल है।

81. *विशेष उल्लेख क्या होता है?*

नियम 180क-180ङ के अधीन कोई सदस्य सभा में लोक महत्व के किसी विषय का उल्लेख कर सकता है, उसे 250 से अनधिक शब्दों में उल्लेख किए जाने वाले विषय के पाठ सहित लिखित रूप में एक सूचना देनी होती है। किसी भी सदस्य को एक सप्ताह के दौरान एक से अधिक विशेष उल्लेख करने की अनुमति नहीं होती।

82. *प्रस्ताव क्या होता है?*

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 167-174 में यह उपबंध है कि सभापति की सहमति से किए गए प्रस्ताव के बिना सामान्य लोकहित के विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी। संसदीय शब्दावली में 'प्रस्ताव' शब्द का अर्थ है — ऐसा कोई प्रस्ताव जो सभा का निर्णय जानने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। इसे ऐसी अभिव्यक्तियों के साथ तैयार किया जाता है कि, यदि यह पारित हो जाता है, तो यह सभा की इच्छा व्यक्त करने का अभिप्राय रखेगा।

83. *प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं?*

प्रस्तावों को मूल या सहायक प्रस्तावों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मूल प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संदर्भ में उपस्थित किया गया एक स्वत: पूर्ण प्रस्ताव होता है जो प्रस्तावकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है। सहायक प्रस्ताव, जैसा कि इसका नाम इंगित करता है, मूल प्रस्ताव से संबंधित होता है।

84. *अनियत दिन वाला प्रस्ताव क्या होता है?*

यदि सभापति किसी प्रस्ताव की सूचना को गृहीत करता है और ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई तारीख नियत नहीं है, तो इसे तत्काल 'अनियत दिन वाले प्रस्ताव' शीर्षक के अधीन संसदीय समाचार भाग-II में अधिसूचित किया जाता है। सभा के समक्ष कार्य की स्थिति पर विचार करने के उपरांत सभा के नेता के परामर्श से सभापति द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा के लिए तारीख और समय आबंटित किया जाता है।

85. *संकल्प क्या होता है?*

सभा अपने संकल्पों द्वारा अपनी राय और प्रयोजनों की घोषणा करती है। प्रत्येक प्रश्न, सभा द्वारा सहमति दिए जाने पर, एक संकल्प या आदेश का रूप धारण कर लेता है। संकल्पों को गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प (जो किसी मंत्री द्वारा नहीं बल्कि सदस्य द्वारा उपस्थित किए जाते हैं), सरकारी संकल्प (जो मंत्रियों द्वारा उपस्थित किए जाते हैं) और सांविधिक संकल्प (जो संविधान अथवा संसद के किसी अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी उपबंध के अनुसरण में उपस्थित किए जाते हैं) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

86. *राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है?*

भारत का राष्ट्रपति नई लोक सभा के गठन के पश्चात् पहले सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। दोनों सभाओं को संबोधित राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों पर किसी सदस्य द्वारा उपस्थित किए गए और किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा की जाती है।

87. *राज्य सभा द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में कितनी बार संशोधन किए गए हैं?*

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पांच अवसरों पर अर्थात् 30 जनवरी, 1980; 29 दिसम्बर, 1989; 12 मार्च, 2001, 3 मार्च, 2015 और 9 मार्च, 2016 को राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में स्वीकार किया गया है।

88. *औचित्य का प्रश्न क्या होता है?*

औचित्य का प्रश्न प्रक्रिया विषयक नियमों अथवा संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की, जो सभा के कार्य का विनियमन करते हैं, व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित प्रश्न होता है और यह सभापीठ के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों का नियम 258 किसी सदस्य को औचित्य का प्रश्न उठाने के लिए सक्षम बनाने का उपबंध करता है। कोई भी सदस्य किसी भी समय सभापति के निर्णय के लिए औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत कर सकता है, परंतु ऐसा करते हुए, वह स्वयं को प्रश्न को कहने तक सीमित रखेगा।

सभापति, उठाए जाने वाले औचित्य के सभी प्रश्नों के संबंध में निर्णय लेगा, और उसका निर्णय अंतिम होगा।

89. *विलम्बकारी प्रस्ताव क्या होता है?*

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 230 में विलम्बकारी प्रस्ताव की व्याख्या की गई है। किसी प्रस्ताव के किए जाने के बाद किसी समय कोई सदस्य यह प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है कि प्रस्ताव पर वाद-विवाद को स्थगित कर दिया जाए। यदि सभापति की राय हो कि वाद-विवाद के स्थगन का कोई प्रस्ताव राज्य सभा के नियमों का दुरुपयोग है तो वह उस पर या तो सभापीठ से तुरंत मत ले सकता है या प्रस्ताव को उपस्थित किए जाने से इंकार कर सकता है।

90. *अल्पकालिक चर्चा क्या होती है?*

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 176-179 में अल्पकालिक चर्चा की व्याख्या की गई है। यदि सभापति, सूचना देने वाले सदस्य से और मंत्री से ऐसी जानकारी मांगने के बाद, जिससे भी वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि विषय अविलम्बनीय है और राज्य सभा में जल्दी ही किसी तिथि को उठाए जाने के लिए पर्याप्त लोक महत्व का है, तो वह सूचना गृहीत कर सकेगा और राज्य सभा के नेता के परामर्श से ऐसी तिथि निश्चित कर सकेगा जब ऐसा विषय चर्चा के लिए लिया जा सके और चर्चा के लिए उतने समय की अनुमति दे सकेगा जितना कि वह परिस्थितियों में उचित समझे और जो ढाई घंटे से अधिक न हो।

91. *राज्य सभा में कब और किसके द्वारा पर्यावरणीय दुर्दशा और जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाया गया था?*

पर्यावरणीय दुर्दशा और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे प्रथम बार 21 मई, 1952 के राज्य सभा के प्रथम सत्र में राष्ट्रपति के संदेश पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान क्रमशः श्री कृष्ण मूर्ति राव और श्री टी॰ एस॰ पट्टाभिरामन द्वारा उठाए गए थे।

92. *राज्य सभा में कोई सदस्य कोई प्रश्न किस प्रकार पूछता है?*

किसी सदस्य को जिस तारीख को प्रश्न पूछना है, उससे कम से कम 15 दिन पहले विहित प्रपत्र में इसकी सूचना देनी होती है।

93. *तारांकित और अतारांकित प्रश्न क्या है?*

ऐसा प्रश्न जिसके लिए मौखिक उत्तर दिए जाने की अपेक्षा सदस्य द्वारा की गई हो, उसे तारे का चिह्न लगाकर अलग से दर्शाया जाता है और उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ऐसा प्रश्न जिसमें तारे का चिह्न नहीं लगाया गया हो उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है और उसे लिखित उत्तरों के लिए स्वीकार किया जाता है।

94. *अनुपूरक प्रश्न कौन से होते हैं? कितने प्रश्न करने की अनुमति है?*

अनुपूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से उपजे वे संक्षिप्त प्रश्न होते हैं जो प्रश्न के दिए गए उत्तर के किसी तथ्यपूर्ण मुद्दे को और स्पष्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। इनके संबंध में सभापति हाथ उठाने वाले किसी भी सदस्य से, स्वविवेकानुसार, अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए कह सकते हैं किंतु सभापति हाथ उठाने वाले प्रत्येक सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुपूरक प्रश्नों की संख्या को नियमित करने के लिए सभापति द्वारा समय-समय पर विनिर्णय दिया गया है। वर्तमान में, मुख्य प्रश्न से केवल दो अनुपूरक प्रश्न पूछने की ही अनुमति है और तीन और सदस्य एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

95. *तब क्या होता है जब कोई सदस्य, जिसके नाम पर तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध है, प्रश्न उपस्थित करने से इनकार कर देता है अथवा अनुपस्थित होता है?*

यदि किसी प्रश्न के लिए पुकारे जाने पर वह प्रश्न उपस्थित नहीं किया जाता है अथवा वह जिस सदस्य के नाम पर है, वह सदस्य अनुपस्थित है, तो सभापति उसका उत्तर दिए जाने के लिए निदेश करते हैं। सभापति उस प्रश्न के लिए तीन अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं।

96. *अल्प सूचना प्रश्न कौन से होते हैं?*

अल्प सूचना प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी विषय के संबंध में मौखिक उत्तर दिए जाने के लिए पंद्रह दिन से कम समय की सूचना पर पूछे जा सकते हैं। यदि सभापति की यह राय हो कि प्रश्न अविलम्बनीय प्रकार का है तो वह संबंधित मंत्री से पूछ सकते हैं कि क्या वह अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में है, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर सभापति द्वारा निश्चित किए गए दिन और समय पर दिया जाता है।

97. *जब कुछ आकस्मिकताओं के कारण प्रश्न काल को स्थगित किया जाता है, तो सूचीबद्ध प्रश्नों का क्या होता है?*

ऐसी स्थिति में उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्नों के रूप में मान लिया जाता है और अतारांकित प्रश्नों के साथ उनके उत्तर को उस दिन सभा पटल पर रखा गया मान लिया जाता है।

98. *प्रश्नों की ग्राह्यता का निर्णय कौन करता है?*

राज्य सभा का सभापति निर्णय करता है कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग ग्राह्य है अथवा नहीं। यदि उसकी राय में यह प्रश्न करने के अधिकार का दुरुपयोग है या सभा की प्रक्रिया को बाधित अथवा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है अथवा राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमावली के नियमों का उल्लंघन है तो वह किसी प्रश्न या उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकता है। सभापति यह भी निदेश दे सकता है कि किसी प्रश्न को किसी सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लिखित तिथि के बाद की तिथि के लिए उत्तर हेतु

प्रश्नों की सूची में शामिल किया जाए, यदि उसकी राय में उस प्रश्न की ग्राह्यता के संबंध में निर्णय के लिए अधिक अवधि आवश्यक है।

99. *किसी दिन विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्नों की कुल संख्या की सीमा क्या है?*

किसी एक दिन के लिए उत्तरों हेतु गृहीत किए जाने वाले प्रश्नों की कुल संख्या 175 होगी जिनमें से 15 मौखिक उत्तरों के लिए और 160 लिखित उत्तरों के लिए होंगे।

संसदीय विशेषाधिकार

100. *संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं?*

संसद की दोनों सभाओं को सामूहिक रूप से और संसद सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से, कतिपय शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं जिनके बिना वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद की सभाओं, सदस्यों और समितियों की इन शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के अनुसार ये विशेषाधिकार संसद में बोलने की स्वतंत्रता है; सदस्य को सदन में कही गई किसी भी बात के लिए अथवा संसद में अथवा उसकी किसी भी समिति में उसके द्वारा दिए गए मत के संबंध में उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही से उन्मुक्ति है। किसी व्यक्ति के लिए किसी भी रिपोर्ट, पत्र, मतों अथवा कार्यवाहियों का संसद की दोनों सभाओं के प्राधिकार के द्वारा अथवा उसके अधीन प्रकाशन के संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाहियों से उन्मुक्ति है। उपबंध उन व्यक्तियों, जिन्हें संविधान के आधार पर संसद के किसी भी सदन में या उसकी किसी समिति में बोलने, और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, के मामले में भी उसी तरह लागू होते हैं।

101. *क्या भारत में संसदीय विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किया गया है?*

प्रत्येक सभा और इसके सदस्यों और उनकी समितियों को प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के लिए संसद (और राज्य विधानमण्डलों) द्वारा अब तक कोई विधि अधिनियमित नहीं की गई है।

102. *'विशेषाधिकार भंग' और 'सभा की अवमानना' में क्या अंतर है?*

जब व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों की अथवा सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार का किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण द्वारा अनादर किया जाता है अथवा उसका अतिक्रमण किया जाता है तो इस अपराध को 'विशेषाधिकार भंग' कहते हैं। सभाओं अथवा इनके सदस्यों के समुचित कर्तव्य निर्वहन में उनके सामने उत्पन्न की गई कोई बाधा अथवा अड़चन अथवा ऐसे परिणाम देने की प्रवृति 'सभा की अवमानना' है।

103. *विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी प्रक्रिया क्या है?*

विशेषाधिकार के प्रश्न संबंधी प्रक्रिया राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियमों के नियम 187-203 में निर्धारित की गई है। विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार और

निर्णय या तो स्वयं सभा द्वारा किया जा सकता है अथवा सभापति इसे जांच, संवीक्षा और प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं।

एमपीलैड्स

104. *एमपीलैड्स क्या है?*

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अथवा एमपीलैड्स की संसद में घोषणा 23 दिसंबर, 1993 को की गई थी। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों द्वारा आम जनता की उन्नति के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लोक सभा के मामले में प्रत्येक संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के कार्य कराने के लिए जिलाधीश को सुझाव दे सकता है। राज्य सभा का कोई सदस्य जिस राज्य से वह निर्वाचित हुआ है, वहां के किसी एक जिले या उससे अधिक जिलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है। नाम-निर्देशित सदस्य इस योजना के अंतर्गत अपनी पसंद के कार्य को निष्पादित कराने के लिए देश में किसी भी राज्य के किसी भी जिले का चयन कर सकता है। सदस्य को निष्पादन एवं निधि जारी करने के लिए एक नोडल जिले का चयन करना होता है।

105. *संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का गठन कब हुआ?*

इस समिति का गठन 5 सितम्बर, 1998 को हुआ था। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सहयोग से एमपीलैड योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच-पड़ताल करती है।

106. *संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन होता है?*

राज्य सभा के उपसभापति संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के अध्यक्ष होते हैं।

107. *क्या सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बाहर भी अपनी निधि को उपयोग में ला सकते हैं?*

हां, कोई संसद सदस्य प्रति वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए के कार्यों की सिफारिश कर सकता है। ऐसे कार्य को राष्ट्रीय एकता, सौहार्द्र तथा भाईचारे को बढ़ावा देने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एमपीलैड योजना संबंधी दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि देश के किसी भी हिस्से में ''गंभीर आपदा'' की स्थिति में कोई संसद सदस्य प्रभावित जिले में अधिकतम 50 लाख रुपए की धनराशि के कार्यों की सिफारिश कर सकता है।

मीडिया और राज्य सभा

108. *क्या राज्य सभा और लोक सभा की कार्यवाहियों का टेलीविजन पर प्रसारण होता है?*

हां, दोनों सभाओं के अपने पृथक् और स्वतंत्र 24X7 टेलीविजन चैनल हैं जो इनके स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन हैं।

109. *क्या राज्य सभा तथा लोक सभा की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट उपलब्ध है?*

हां, संसद की दोनों सभाओं की अपनी-अपनी विस्तृत वेबसाइट हैं। दिसम्बर, 2011 से राज्य सभा टेलीविजन (आरएसटीवी) का लाइव वेबकास्ट उपलब्ध है। सत्र के दौरान आरएसटीवी के माध्यम से भी सभा की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट उपलब्ध होता है। चैनल के साथ-साथ वेबकास्ट राज्य सभा के होमपेज अर्थात् *www.rajyasabha.nic.in,* आरएसटीवी अर्थात् *www.rstv.nic*.in पर तथा यू-टयूब पर भी उपलब्ध होता है।

सूचना का अधिकार और राज्य सभा सचिवालय

110. *क्या राज्य सभा सचिवालय का कार्यकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है?*

हां, राज्य सभा सचिवालय का कार्यकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में आता है। सूचना चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को सुविधाजनक रूप से सूचना प्रदान करते हुए राज्य सभा के सभापति ने इस अधिनियम की धारा 28 के अनुसार सचिवालय हेतु नियम बनाए हैं।

111. *इस संबंध में किन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है और उनके विवरण क्या हैं?*

इस संबंध में निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है:—

1. श्री एस॰ के॰ वर्मा
   संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
   (राज्य सभा सचिवालय में अपीलीय प्राधिकारी)
   202, द्वितीय तल, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110 001
   दूरभाष सं॰ 011-23034202
   टेलीफैक्स: 011-23011245
   ई-मेल : *suresh.verma@sansad.nic.in*

2. श्री अरुण शर्मा
   निदेशक एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (के॰लो॰सू॰अ॰)
   कमरा सं॰ 07, संसदीय सौध, नई दिल्ली- 110 001
   दूरभाष सं॰ 011-23035368
   ई-मेल :*arunsharma@sansad.nic.in*

3. श्री विनय शंकर सिंह
   संयुक्त निदेशक एवं केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (के॰स॰लो॰सू॰अ॰)
   222, दूसरी मंजिल, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110 001
   दूरभाष सं॰ 011-23035446
   ई-मेल :*vinay.ss@sansad.nic.in*

संसदीय मंच

112. *पंचायती राज संबंधी राज्य सभा मंच क्या है?*

माननीय सभापति ने 16 फरवरी, 2016 को पंचायती राज संबंधी राज्य सभा मंच का गठन किया तथा राज्य सभा के माननीय उपसभापति मंच के पदेन अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री मंच के पदेन उपाध्यक्ष हैं। मंच में, राज्य सभा के 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिन्हें राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से ऐसे सदस्यों जो इस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि रखते हों, को नाम-निर्देशित किया जाएगा। मंच में सदस्यों का कार्यकाल मंच में उनकी सदस्यता के समाप्त होने के साथ-साथ समाप्त हो जाएगा।

113. *पंचायती राज संबंधी राज्य सभा मंच के उद्देश्य क्या हैं?*

मंच (i) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित समस्याओं की पहचान करेगा और उन पर केन्द्रित विचार-विमर्श करेगा; (ii) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्यनीतियों पर विचार-विमर्श करेगा; और (iii) संसदविदों को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कार्यकरण और उन्हें सुदृढ़ बनाए जाने के संबंध में राय, विचारों अनुभवों, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम कार्यों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करेगा। इसके अलावा पंचायती राज के क्षेत्र में विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में संबद्ध किया जा सकता है जो मंच की बैठकों के दौरान अपने विचारों को साझा/पत्रों को प्रस्तुत कर सकते हैं।

राज्य सभा से संपर्क

114. *राज्य सभा के सदस्यों के संबंध में हमें और जानकारी कहां से प्राप्त हो सकती है?*

राज्य सभा वेबसाइट: *http://rajyasabha.hindi.nic.in* में सदस्यों के बारे में एक खण्ड है जिसमें सदस्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सर्च फार्म है।

115. *हम राज्य सभा के किसी सदस्य से संपर्क कैसे कर सकते हैं?*

राज्य सभा वेबसाइट: *http://rajyasabha.hindi.nic.in* में राज्य सभा के सदस्यों के पते और ई-मेल की एक सूची दी गई है।

116. *राज्य सभा के सत्रों के संबंध में हमें जानकारी कहां से प्राप्त हो सकती है?*

राज्य सभा वेबसाइट: *http://rajyasabha.hindi.nic.in* में कार्य और विधान प्रत्येक के बारे में एक-एक खण्ड है जिसमें सत्र संबंधी जानकारी उपलब्ध है।

117. *क्या राज्य सभा की वेबसाइट हिन्दी में उपलब्ध है?*

हां, इसका पता है-*http://rajyasabhahindi.nic.in/rshindi/hindipage.asp*

118. *राज्य सभा के वेबसाइट का अनुरक्षण कौन करता है और हम कोई फीडबैक कैसे दे सकते हैं?*

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी), संसद सूचना प्रभाग राज्य सभा सचिवालय के लिए राज्य सभा वेबसाइट का अभिकल्पन और अनुरक्षण करता है। इस वेबसाइट में वेबसाइट संबंधी फीडबैक भेजने की सुविधा उपलब्ध है।

119. *मुझे किसी समिति के प्रतिवेदन की प्रति कहां से मिल सकती है?*

समिति के प्रतिवेदनों का पाठ समिति संबंधी खंड के अंतर्गत *rajyasabhahindi.nic.in* पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। प्रतिवेदनों की प्रतियां संसद ग्रंथालय में उपलब्ध हैं।

120. *मुझे संसद के किसी अधिनियम की प्रति कहां से मिल सकती है?*

संसद के अधिनियमों का पाठ वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। संसद ग्रंथालय में 1952 से मूल अधिनियमों की प्रतियां हैं। कृपया नोट करे कि किसी अधिनियम के व्यवहारिक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समुचित सरकार की है, न कि संसद की।

121. *राज्य सभा और लोक सभा की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तालिका*

राज्य सभा	लोक सभा
संविधान में राज्य सभा की विहित सदस्य संख्या 250 है जिसमें 238 निर्वाचित सदस्य और 12 नाम-निर्देशित सदस्य शामिल हैं।	संविधान में लोक सभा की विहित संख्या 522 है जिसमें 530 राज्यों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, 20 संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं और एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 सदस्य होते हैं।
राज्य सभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है जिसमें से 233 निर्वाचित हैं और 12 नाम-निर्देशित सदस्य हैं। एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं।	लोक सभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 545 है जिसमें से 530 राज्यों से सीधे निर्वाचित हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और 2 सदस्य एंग्लो-इंडियन समुदाय के हैं।
राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। उपचुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य रिक्त हुए पद के शेष कार्यकाल तक सदस्य रहता है।	लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है (यदि उससे पहले भंग न हो)।
राज्य सभा के सभापति श्री मोहम्मद हामिद अंसारी हैं।	लोक सभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन हैं।
राज्य सभा के उप सभापति प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन हैं।	लोक सभा के उपाध्यक्ष डा॰ एम॰ थम्बी दुरई हैं।
सभा के नेता श्री अरुण जेटली हैं।	सभा के नेता श्री नरेन्द्र मोदी हैं।
विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद हैं।	सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं।
राज्य सभा के महासचिव श्री शमशेर के॰ शरीफ हैं	लोक सभा के महासचि श्री अनूप मिश्रा हैं।

राज्य सभा	लोक सभा
सभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या वाला दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है।	सभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या वाला दल भारतीय जनता पार्टी है।
राज्य सभा में 26 महिला सदस्य हैं जो सदस्यों की कुल संख्या का 10.69% हैं।	लोक सभा में 66 महिला सदस्य हैं जो सदस्यों की कुल संख्या का 12.40 प्रतिशत है।
सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य श्री राम जेठमलानी हैं जिनकी आयु 92 वर्ष है।	सर्वाधिक बुजुर्ग सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिनकी आयु 88 वर्ष है।
सबसे युवा सदस्य 33 वर्षीय श्रीमती एम॰सी॰ मेरी कॉम हैं।	सबसे युवा सदस्य 27 वर्षीय श्री दुष्यंत चौटाला हैं।

122. *राज्य सभा की विभाग-संबंधित स्थायी समितियों और उनके कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले मंत्रालयों/विभागों को दर्शाने वाली तालिका*

क्रम सं॰	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	वाणिज्य संबंधी समिति	वाणिज्य और उद्योग
2.	गृह कार्य संबंधी समिति	गृह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास
3.	मानव संसाधन विकास संबंधी समिति	मानव संसाधन विकास युवक कार्यक्रम और खेल महिला एवं बाल विकास
4	उद्योग संबंधी समिति	भारी उद्योग और लोक उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति	विज्ञान और प्रौद्योगिकी अन्तरिक्ष पृथ्वी विज्ञान परमाणु ऊर्जा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
6.	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति	नागर विमानन सड़क परिवहन और राजमार्ग पोत परिवहन, संस्कृति,
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी (आयुष)
8.	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति	विधि और न्याय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन

123. *लोक सभा की विभाग-संबंधित स्थायी समितियों और उनके कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले मंत्रालयों/विभागों को दर्शाने वाली तालिका*

क्रम सं॰	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
1.	कृषि संबंधी समिति	कृषि एवं किसान कल्याण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
2.	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सूचना और प्रसारण
3.	रक्षा संबंधी समिति	रक्षा
4.	ऊर्जा संबंधी समिति	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत
5.	विदेशी मामलों संबंधी समिति	विदेश प्रवासी भारतीय कार्य
6.	वित्त संबंधी समिति	वित्त, कॉर्पोरेट कार्य, योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
7.	खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
8.	श्रम संबंधी समिति	श्रम और रोजगार वस्त्र कौशल विकास और उद्यमिता
9.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
10.	रेल संबंधी समिति	रेल
11.	शहरी विकास संबंधी समिति	शहरी विकास आवास और शहरी गरीबी उपशमन
12.	जल संसाधन संबंधी समिति	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण
13.	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	रसायन और उर्वरक

क्रम सं॰	समिति का नाम	मंत्रालय/विभाग
14.	ग्रामीण विकास संबंधी समिति	ग्रामीण विकास पेयजल और स्वच्छता पंचायती राज
15.	कोयला और इस्पात संबंधी समिति	कोयला खान इस्पात
16.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	सामाजिक न्याय और अधिकारिता जनजातीय कार्य अल्पसंख्यक मामले

GMGIPMRND—4334RS—23-08-2016.